

कार्यालय आदेश संख्या - 443/NG/2019/Engg./SPJ

श्री राम रक्षा सहनी पुत्र श्री राम नारायण सहनी, ट्रैकमैन्टेनर-II, गुंतकल मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे, वेतनमान-5200-20200+2400, लेवल-4 (पदावनत पद ट्रैकमैन्टेनर-IV लेवल-1) जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/गुंतकल मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे का पत्र संख्या:- SCR/P-GTL/W.3/222/IRRT/Vol.IV, Dated 04.06.2018 एवं मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/समस्तीपुर का पत्र संख्या:-का/283/अन्तर मंडल-रेल/अभि0/सह0/सम0, दिनांक 21.08.2018 के द्वारा स्वीकृत है, तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/ गुंतकल मंडल का पत्र संख्या:- SCR/P-GTL/W.3/222/IDRT/Vol.III, Dated 26.08.2020 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 01.09.2020 को रिपोर्ट किये है।

इनके इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 01.09.2020 से 03.09.2020 तक प्रतीक्षारत अवधि तथा दिनांक 04.09.2020 को इस मंडल के पत्र सं० का/283/इंजी/V/स्थानांतरण/04/सम0 दिनांक 03.09.2020 को गुंतकल मंडल हेतु वापस कर दिया गया था। कर्मचारी द्वारा मरेप्र महोदय से साक्षात्कार के उपरांत वमकाधि महोदय के आदेश एवं वमई(समन्वय) के पदस्थापना आदेश के आलोक में श्री सहनी को सिसेई(पीवे)/बनमंखी के अधीन ट्रैकमैन्टेनर-IV लेवल-1 के पद पर पदस्थापित किया जाता है। कर्मचारी दिनांक 04.09.2020 से 10.09.2020 तक औसत वेतन अवकाश पर रहे है एवं आज दिनांक 11.09.2020 को अपराहन से पदस्थापना हेतु विरमित किया जाता है।

उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री राम रक्षा सहनी का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Ram Raksha Sahni



(आर.आर.लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर
दिनांक 11.09.2020

स०- का/283/अभि0/V/स्थानांतरण 04/सम0

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/गुंतकल मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे - पिन कोड-515801, कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिज्ञानोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
02. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर।
03. वमविप्र/समस्तीपुर।
04. समई/सहरसा।
05. सिसेई(पीवे)/बनमंखी - उक्त कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
06. मुकार्याधी/अभि0 संवर्ग-उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
07. मुकार्याधी/विविध बिल, कार्यालय में।
08. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ।
09. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
10. संबंधित कर्मचारी-आप सिसेई(पीवे)/बनमंखी को रिपोर्ट करें।
11. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर